must negotiate from a position of leadership and not negotiate from a position of defensiveness. We have nothing to feel defensive about. I would like to end here. I would like to respond, in writing, to each of the individual, specific points that have been raised. I will be responding to each hon. Member individually. But, let me reiterate that I stand prepared, at any point of time, to have a discussion on any issue open in as manner as possible. I have nothing to hide. I can assure Shri Amar Singh, Shri Arun Jaitley and all others that it will be my endeavour to ensure that the fears, which they have expressed on the lack of coherence or cohesiveness in the Government's view, will be addressed sooner or later.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, let us take up the legislative business, that is, Bills to be withdrawn. Lotteries (Prohibition) Bill, 1999.

GOVERNMENT BILL

The Lotteries (Prohibition) Bill 1999

श्री प्रकाश जावडेकर (महाराष्ट्र) : उपसभापति महोदय, सरकार ने जब आज लेजिस्लेटिव बिजनेस रखा, उसमें Lotteries (Prohibition) Bill को देख मुझे लगा कि इसको पास करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन यह तो वापिस लेने के लिए कह रहे हैं। इसलिए मुझे बड़ा दुख हुआ और मैं विरोध के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने स्टेटमेंट देखा reasons for withdrawal of Lotteries (Prohibition) Bill. उसमें सबसे बड़ा कारण क्या लिखा है,

"Since there was no unanimity on the aforesaid Bill in the Standing Committee, the Committee had suggested that the Government should explore the possibility of evolving a larger political consensus in the matter".

अब इसके आधार पर वे कर रहे हैं। लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि स्टेंडिंग कमेटी ने एक दूसरे शब्द का भी उपयोग किया कि 're-look' करें। 're-look' का मतलब, वापिस लें, ऐसा नहीं कहा है। 1999 का यह बिल पास हो, जिसमें लॉटरी पर पाबंदी लगनी है। यह बिल पास होने के लिए कमेटी कह रही है कि यह पास होना चाहिए। कहीं भी कमेटी की प्रोसिडिंग्स में ऐसा नहीं आया कि यह बिल पास नहीं होना चाहिए, विद्ड्रो होना चाहिए। कमेटी की यह रिकमंडेशन है ही नहीं। तो कमेटी ने यह कहा है कि इसमें जो भिन्न राय है, तो इसको एक करना चाहिए, यह उन्होंने कहा है। अब मुझे कभी-कभी ऐसा आश्चर्य होता है पौलिटिकल कंसेंसस का। पौलिटिकल कंसेंसस की बात कहां से पैदा हुई? कोई जरूरी नहीं है, लोकतंत्र का मतलब मैजॉरिटी भी है। अगर मैजॉरिटी से सरकार बनती है, मैजॉरिटी से बिल भी बनते हैं, तो क्या जरूरत है लॉटरी जैसे एक ऐसे विषय पर कि जो समाज का विनाश कर रहा है उसके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस बने और एक आदमी को या छोटे ग्रुप को एक ऐसा अधिकार मिले कि वह वीटो कर सके सामाजिक सुधार को? लॉटरी चलाना अच्छा है, ऐसा कौन कहेगा, आप भी नहीं कहोगे। क्या मंत्री महोदय यह कहने के लिए तैयार हैं कि समाज के लिए लॉटरी बड़ी अच्छी चीज है, लॉटरी बड़ी अच्छी चीज है समाज हित के लिए? क्या आप यह कहेंगे कि सब के लिए अच्छा है, इसलिए आप लॉटरी खेलो? मुझे यकीन है कि आप ऐसा तो

नहीं कहोगे। लॉटरी को अच्छा तो कोई कह नहीं रहा है। जो चीज अच्छी नहीं है, जिसकी मान्यता नहीं है वह चीज अगर पॉलिटिकल कंसेंसस से नहीं हो रही है और इसके लिए यह कहना कि हम इसको वापिस ले रहे हैं, यह मुझे लगता है कि बहुत दुखद है और शर्मनाक है। क्योंकि पॉलिटिकल कंसेंसस का क्या मतलब है, इसके लिए आप बिल रखते। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि जो पॉलिटिकल कंसेंसस बनाना था उसकी आड़ में आप बिल वापिस लेने जाओगे, ऐसा स्टेंडिंग कमेटी ने नहीं सोचा था। उपसभापति महोदय, 1998 में जो बिल बना वह सिंगिल डिजिट लॉटरी को बैन करने वाला बिल था, वह लॉटरी रेग्यूलेशन बिल है। 1999 में बहुत लोगों के कहने के बाद एक नया बिल आया जो Lotteries (Prohibition) Bill है, जिसमें सभी प्रकार की लॉटरीज़ पर बैन है। लेकिन उसकी आड़ में आज एक कंसेंसस की बात कह कर फिर से वापिस जाने के लिए कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यह बहुत गलत है।

मंत्री महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सोशल रिफोर्म जो होता है, समाज की भलाई का जो काम है, यह आज महिलाएं देश में पढ़ रही हैं, लेकिन क्या महिलाओं को जिन्होंने पढ़ाने का काम शुरू किया, मैं महाराष्ट्र से आता हूं, वहां छत्रपति साहू महाराज थे या महात्मा फुले थे, जिन्होंने यह काम करवाना शुरू किया, लोगों ने उनको पत्थर मारे, अगर उस समय पॉलिटिकल कंसेंसस की बात करके कोई सोशल रिफार्म करना चाहेगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। सोशल रिफार्म के लिए सरकार को आगे आना पड़ता है, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है कि इसमें माफिया का दबाव हुआ है। लाटरी माफिया है, जिसका लाटरी में बहुत इन्टरेस्ट है और जिनका हजारों करोड़ों का कारोबार है, उन लाटरी माफिया के दबाव में यह काम होता है, इसलिए आज सरकार केवल नियमों की बात कर रही है तथा 1999 के कानून को वापिस ले रही है। इसमें भी बहुत खामियां हैं, अगर मंत्री जी इसको पढ़ते, तो उन्हें पता चल जाता। इसमें लिखा है कि यह जो स्टडी ग्रुप था, जिसने रिकमंडेशन दी है, उसके मुताबिक हम ये रूल वापिस लेकर 1998 के बिल के अनुसार जल्दी रूल बनायेंगे। उसमें लिखा है – Double-digit lottery should be banned. 1998 के लाटरी बिल में Double-digit पर बैन नहीं है, तो Without amending the law, how will you introduce this? यह रूल कैसे बनेगा, वह तो सिंगल डिजिट लाटरी बैन का बिल था, यानी इस पर कुछ काम नहीं किया है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप इसको वापिस लेने का जो प्रस्ताव लाए हो, इस पर पुनर्विचार करो, क्योंकि यह समाज की भलाई के लिए नहीं है।

महोदय, मैं आखिर में एक मुद्दा और बताना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि लाटरी में बहुत सारे लोगों को एम्पलायमेंट है, सरकारों को रेवेन्यु मिलता है, यह कोई आर्गूमेंट है? अगर चरस-गांजा, ड्रग्स को भी आफिसिलय करोगे, जो युवा पीढ़ी का सत्यानाश कर रही है, ऐसे ड्रग्स को मान्यता दोगे, तो भी रेवेन्यु बढ़ेगा। क्या रेवेन्यु बढ़ाने का सरकार के पास यही रास्ता बचा है? सरकार के पास रेवेन्यु के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन आप लोग वैसा नहीं कर रहे हैं। अंत में, एक मुद्दा और है कि सोशल बैलेंशसीट नाम की कोई कल्पना है या नहीं है? सोशल बैलेंसशीट का मतलब यह होता है कि एक चीज़ के निर्णय से क्या समाज को लाभ हुआ, क्या समाज को नुकसान हुआ? मैं सरकार को बताना चाहता हूं, आह्वान करता हूं, चुनौती देता हूं कि वह देश को यह समझाए कि लॉटरी से समाज का क्या-क्या फायदा होता है। मैं यह सब बताने को तैयार हूं कि लॉटरी से समाज का क्या-क्या नुकसान होता है। इस समाज के हर गरीब परिवार की महिला, हर गरीब परिवार की माता और हर गरीब परिवार की बहन यह कहेगी कि लॉटरी जैसा कोई दुश्मन नहीं है। आप इसको बढ़ावा देने निकले हैं, इसलिए मैं इसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

4.00 P.M.

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, as a matter of principle, we are opposed to these kinds of lotteries, but it has to be seen in the practical context in which we are. This Bill is one of the oldest Bills. As I understand, it is a very old Bill. I think the Government has a point in withdrawing this Bill, that is, the Lotteries Prohibition Bill, 1999. But, at the same time, the Government of India will have to give an assurance that the Government will come before the House with a fresh Bill, comprehensively addressing all the concerns. The Government will also have to consult with the State Governments. Without proper consultation with the State Governments and taking their views, I do not think that it is proper on the part of the Union Government to push through this in such a manner.

So, I wish the Government gives an assurance that it will come forward before this House with a fresh Bill, addressing all the concerns. Sir, there are State Governments which themselves run the lotteries and there are private companies which run the lotteries.

I agree with my friend, Mr. Javadekar, that many families are ruined by participating in such lotteries. The consumerism is promoted in various ways. If you see, everywhere you will find this consumerist element, trapping the people into some kind of gamble. This is bad for the society. But, at the same time, the point is, how the Government is going to address the practical questions?

Therefore, I urge upon the Government to give an assurance that it would come before the House with a fresh new Bill, addressing all the concerns. That is what I want to say. It is an old Bill and it cannot stand as it is brought today. I don't find anything wrong if the Government wants to withdraw it but you must give an assurance that you are for another Bill, a fresh Bill, which will address the concerns of everyone. That is how I look at this Bill.

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN (Kerala): Sir, at the time of the withdrawal, I would also like to raise some difference of opinion with regard to this process.

Sir, when this Bill was brought in the year 1999, at that time also during the discussion, we had expressed our difference of opinion. The defect in this Bill is that it is generalising all kind of lotteries whether it is single digit lotteries or whether it is on-line lotteries or whether it is State-run lotteries. They have generalised all these lotteries. Here, Sir, I agree with the fact that there are on-line lotteries, there are single-digit lotteries and there are lotteries run by mafia, etc. All of them are there. Some of the States are utilizing this for strengthening the lottery mafia. That thing is also there.

But, Sir, we have to understand the fact that there are some States where the State Governments are running it in a proper way. I am representing a State where we have a State Government lottery since 1969. During all these forty years, the State lottery is there and it is providing employment to the poor man, the differentially-able people in Kerala. Sir, lakhs of differentially- able people are using the paper lottery for their livelihood. If there is a blanket ban, they

will all become beggars the next day. Then, there are women, who are destitute women. What would be their future, Sir, if there is a blanket ban on it? So, we have to take note of this. Therefore, the defect in the Bill is that we are generalising all these lotteries. So, you have to differentiate between all these lotteries, namely, the lotteries run by the mafia, the on-line lotteries, the computer-lotteries, the single-digit lotteries, double-digit lotteries, etc. There are malpractices in this. My suggestion is, try to avoid all these malpractices and also take into account all those State Governments which are providing employment to the destitute and differentially-abled people. Their rights should be ensured. I think, this House should be unanimous in this regard.

Sir, I expect an assurance from the Minister concerned that when he comes with a comprehensive Bill, he will take note of all these aspects. Thank you.

श्री अमार सिंह (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने सदन में इस बिल पर विस्तार से चर्चा की है। अभी पिछले दिनों एक बहुत ही महत्वपूर्ण किसानों के मुद्दे पर, सम्पूर्ण विपक्ष ने एक साथ होकर, सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर किया है। मैं गन्ना किसानों के बारे में संदर्भित कर रहा हूं, सरकार द्वारा कुछ ऐसे प्रावधान लाए गए थे, जो उनके हितों के प्रतिकूल थे। मैं यह बात नहीं कहूंगा कि सरकार एकदम खराब काम करती है। सरकार कभी-कभी अच्छा काम भी करती है, जैसे इसने एक अच्छा काम यह किया कि यह लॉटरी के विरोध में यहां पर एक बिल लाई है। यह लॉटरी समाज में बहुत बड़ी प्रतिकूलता और विषमता लाती है। मुझे अनुभव है कि लॉटरी के कारण कई परिवारों ने आत्महत्या भी की है। यह लॉटरी एक जुए की तरह है। लॉटरी की बुराइयों और कुरीतियों से ही प्रभावित होकर सम्भवतः हमारे ईमानदार, योग्य और प्रतिभावान गृह मंत्री चिदम्बरम जी यह बिल यहां लेकर आए।

अब यह बिल इस हाउस की संपत्ति हो गई है। एक अच्छी चीज आई है। यह हमारे हाउस की संपत्ति हो गई है। एकाएक यह अच्छा काम हुआ है, हम इसके लिए गृह मंत्रालय और सरकार को साधुवाद देना चाहते थे कि गन्ना किसानों के हितों के प्रतिकूल आचरण करने के बाद एक गरीब आदमी, जो लॉटरी खेलते-खेलते आत्महत्या कर लेता है, उस लॉटरी की बुराई और कुरीति को खत्म करने के लिए आप एक बिल लेकर आए हैं। हमारी ये जो सुखद अनुभूति थी, यह क्षणिक रही। आज जब हमने सदन का कागज देखा तो पता चला कि आम आदमी के लिए यह जो अच्छा काम करने का निर्णय लिया था, इसके लिए भी इनका मन बदल गया। अब कहते हैं कि नहीं, नहीं आत्महत्या करो, भूखो मरो, पत्नी के जेवरात बेचो, लेकिन लॉटरी खेलो। इन्होंने लॉटरी बैन करने के लिए जो काम किया था, अब इसको वापस ले रहे हैं। अब यह हमारी संपत्ति है, हमारा अपना मामला है, हाउस की संपत्ति को हम हाउस से वापस नहीं जाने देंगे। बड़ी मुश्किल से यह पकड़ में आया है, एक अच्छा काम हुआ है, यह मेरा मानना है। विपक्ष के नेता माननीय अरुण जेटली जी से हम अनुरोध करेंगे कि यह जो अच्छी चीज आई है, इसको पकड़ लें, जकड़ लें। हम भी पकड़ते-जकड़ते हैं। अभी हमारे वामपंथी साथी कह रहे थे, Destitute women की बात कर रहे थे, मैं यह मानता हूं, विशेष रूप से वामपंथी साथियों के लिए मानता हूं कि अंधाधुंध पैसे की कमाई के लिए वहां की सरकार

लॉटरी नहीं करेंगी। आप इसको बैन न करें, संशोधन कर दें कि स्टेट वाले करेंगे, केरल वाले करेंगे, बंगाल वाले करेंगे, असम वाले करेंगे और उसमें एक स्ट्रिक्चर कर दें कि उससे जो कमाई होगी, वह कमाई वेलफेयर के लिए जाएगी। आप वह कर दें। हम आपको साधुवाद दे रहे हैं कि आप कीजिए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि असम का कोई व्यक्ति है, हम नाम नहीं लेंगे, सत्ताधारी दल से संबद्ध है, उसका बहुत नाम है, हम नाम नहीं लेंगे, नाम नहीं लेना चाहिए, वे इस सदन में नहीं है, वे बहुत जोर से कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा न्यूज मैग्नेट है, उसके पास पता नहीं कितने चैनल्स हैं, वह भी बहुत interested है, हमारे पास भी तरह-तरह के लोग आए हैं कि बोलना मत, गांधी के बंदर की तरह चुप रहना, न देखना, न सुनना, न बोलना, गांधी के तीन बंदरों को याद करो और राज्य सभा में जाकर तीन बंदरों को याद करके न देखो, न बोलो और न सुनो। गृह मंत्री जी यह काम हम नहीं कर सकते हैं। आपने एक अच्छा काम किया है, इस अच्छे काम को बुराई में बदलने के लिए हम आपको सहयोग नहीं दे सकते हैं। अब यह बिल आ गया है, हम इसे पकड़ेंगे, जकड़ेंगे, अपने पास रखेंगे और अगर आपको कोई संशोधन करना है तो संशोधन कीजिए। हम संशोधन करने का स्वागत करेंगे ताकि केरल वाले हमारे वामपंथी साथियों का जो एक संशय है वह ठीक हो जाए और बाकी मामले में हम वामपंथी साथियों से भी सविनय अनुरोध करेंगे कि यह जो कुरीति है, इसका विरोध करें।

DR. K. MALAISAMY (Tamil Nadu): Sir, I shall take only a minute to seek clarifications, it is seen from the statement of the Minister that the Bill was introduced as early as in 1999. Now, the Bill is being withdrawn after ten years. I would like to say that before withdrawing the Bill they should have applied their minds. He has explained the circumstances under which the Bill is being withdrawn. Sir, in bureaucracy, there is a light-hearted saying: If you want to kill a decision, appoint a committee! After appointing a committee and after going through several exercises they have decided to withdraw the Bill. My point is, before withdrawing the Bill they should have applied their minds and then arrived at a conclusion. My point is, you introduced the Bill as early as in 1999. You should have thought over all the implications and worked out details. You should have done all that when you brought the Bill in 1999. After ten years now you think over the implications. In other words, you brought a half-baked bill and you have not applied your mind. Sir, in the statement you have said that the future needs would be taken care of by the rules. If that be the case, I would like to ask whether the rules that you propose would take care of all the implications and contingencies. Are they going to be effective or adequate? Not at all.

श्री एस.एस. अहलुवालिया (झारखंड) : उपसभापति महोदय, मेरे माननीय विद्वान सांसदों ने Lotteries Bill के withdrawal के खिलाफ अपने विचार रखे हैं। मैं सिर्फ यह बात कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने अपने स्टेटमेंट में कहा है – Reasons for withdrawal of Lotteries (Prohibition) Bill, 1999 "However, since there was no unanimity on the aforesaid Bill in the Committee, the Committee suggests that the Government should explore the possibility of evolving a larger political consensus in the matter." अगर Standing Committee किसी भी विधेयक पर unanimous report देती है, तो क्या सरकार उसे मान लेती है? उस वक्त वह कहती है कि it is not a mandatory recommendation. When there is no unanimity, you are saying that you are not going to proceed further because there is no unanimity. Now you are

proposing that you will constitute a Committee of Secretaries headed by the Union Home Minister and the Finance Secretary and other State Governments as Members to examine the suggestions made by various political parties and the State Governments and to make suitable recommendations. आपने जो recommendations लिखी है, जिनमें double-digit lottery should be banned, और बहुत सारी चीजें लिखी हैं। वहां पर आपने प्वाइंट 4 में एक और बात लिखी है कि "There should be no draws on national holidays." Do you know that on the salary day, whether it is a marginal farmer's salary day, or, an unorganised sector worker's salary day, or, a factory worker's salary day, when he comes out of the cashier's counter the next place he reaches is the lottery-ticket seller. A poor man buys or purchases the ticket and is provoked or attracted to big, big prizes to fulfil the dreams of his family members. He spends half of his day's or month's salary to purchase tickets thinking that he may get the prize. He starts day-dreaming that he will get this prize, or, he can get rid of all his debts, or, he can fulfil the demands of his wife and children, or, he can fulfil the demands of his parents and every month he buys tickets. But at the end of the month when the result comes, out of frustration he goes to a liquor shop and purchases liquor. He wanted to forget that. But again the month starts with all this. As our learned friend, Mr. Vijayaraghavan said, Kerala and other States are doing this. They are providing employment to unemployed youths and young boys and girls. Many families are running after selling the tickets and earning their commission. That is correct. There should be a proper regulatory authority to regulate the system. There are cheats and big mafias in private sector. They are doing it in every nook and corner of the country; they are running lotteries in the name of committees, in the name of chit fund, etc. They provoke people, they attract people, they force people to buy their things and ultimately they cheat people. Who is the sufferer? The lower-middle class and the poor section of the society. So for the protection of their rights, we must have a comprehensive Bill. Till the Government brings a comprehensive Bill, let it be there. Otherwise, you bring amendment on this Bill. There is a Standing Committee Report. A detailed Report is there. You bring your amendment and whatever fine-tuning you want to do in this Bill, you do it. But you cannot withdraw this Bill from the House. Once the Bill is introduced with good intention, let it be there. However, there are some smaller States; they are improving their economy for social service sector and they are earning their money. You bring a comprehensive Bill and then come to the House. Then if you want to interchange it, do it. Otherwise, bring amendment in this Bill itself and pass this Bill.

डा. (श्रीमती) नजमा ए. हेपतुल्ला (राजस्थान) : महिलाओं का बिल ये नहीं ला रहे हैं, यह कह कर कि यूनानिमिटी नहीं है ...**(व्यवधान)**...

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : उपसभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने बड़े विस्तार से अपनी बातें रखीं। मेरे सीनियर कुलीग श्री चिदम्बरम जी के ऑथेंटिकेटिड स्टेटमेंट में इसके डिटेल्ड रीजन्स दिए गए हैं और वह सबको सर्कुलेट किया गया है। मैं केवल उसमें से कुछ बातों को दोबारा से दोहराना चाहूंगा।

इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे रखूं, जैसा कि अभी प्रकाश जी ने बताया कि स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि इसको लार्जर पॉलिटिकल कंसेंसस के लिए रखा जाए, लेकिन इसके बाद सीधे के सीधे इसे विदड्रॉ क्यों किया जा रहा है। इसमें सरकार सीधे के सीधे स्टैंडिंग कमेटी के बाद इसको विदड्रॉ नहीं कर रही है, इसके बीच में बहुत सारे स्टेप्स भी लिए गए हैं। कुछ स्टैप्स ऐसे भी लिए गए, जब सत्ता में हमारी सरकार नहीं थी, पुरानी सरकार थी, लेकिन तब भी किसी तरीके से कोई कंसैंसस या यूनानिमिटी रीच नहीं किया जा सका।

जब 23 दिसम्बर, 1999 को यह स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया, उस समय 14 फरवरी 2000 को वापस सरकार ने कहा कि इसमें लार्जर पॉलिटिकल कंसेंसस इवॉल्व किया जाए। उसके बाद 8 फरवरी, 2003 को जब All India Chief Ministers की कॉन्फरेंस हुई, उसमें भी यह विषय उठाया गया, लेकिन चीफ मिनिस्टर्स की कॉन्फरेंस में भी इसमें किसी तरीके से यूनानिमिटी नहीं आई। 6 फरवरी, 2006 को तत्कालीन होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जितने भी लीडर्स हैं, उन सबको बुला करके फिर से इसके ऊपर चर्चा की। उस समय overwhelming view यह निकला कि लॉटरीज़ को प्रोहिबिट नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इसमें एक स्ट्रॉंग और इफैक्टिव रैगुलेशन की जरूरत है, जिससे उसको रैगुलेट किया जा सके।

उसके बाद उसकी वजह से और उसके फॉल आउट से 6 फरवरी को सब लीडर्स के साथ में एच.एम. की मीटिंग हुई, तो यूनियन होम सैक्रेटरी के नेतृत्व में 24 फरवरी को एक कमेटी फॉर्म की गई, जिसमें सभी स्टेट्स के फाइनांस सेक्रेटरीज़ डाले गए। 4 अप्रैल, 2006 को, केवल डेढ़-दो महीने के बाद ही सभी स्टेट्स के फाइनांस सेक्रेटरीज के होम सेक्रेटरी के साथ मीटिंग की और उस मीटिंग के अंदर केवल त्रिपुरा ने कहा कि इस पर बैन होना चाहिए, यह प्रोहिबिट होना चाहिए। इसके अलावा बाकी सब के सब स्टेट्स के फाइनांस सेक्रेटरीज़ ने कहा कि इसे बैन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए बेहतर रैगुलेशन्स को लेकर आने की जरूरत है। उसके बाद 27 नवम्बर, 2006 को इसके ऊपर एक स्टडी ग्रुप बनाया गया। उस स्टडी ग्रुप के अंदर कुछ सिलैक्टिड स्टेटग्रास के रिप्रेज़ेंटेटिव्स थे, Ministry of Law and Justice के रिप्रेज़ेंटेटिव्स थे और Ministry of Finance के रिप्रेज़ेंटेटिव्स भी थे। उस स्टडी ग्रुप को दो प्वाइंट्स देखने के लिए कहे गए थे। एक प्वाइंट था - "Whether the Lottery should be continued" और दूसार प्वाइंट था, "If so, then make suitable recommendations for better regulation and operation."

स्टडी ग्रुप ने, जिसके अंदर Ministry of Law and Justice के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे, 18 जुलाई, 2009 को अपनी एक रिपोर्ट सब्मिट की और कहा कि इसके अंदर 'The Lotteries (Prohibition) Bill, 1999' को विदड्रॉ करना चाहिए और उसकी जगह rules under 'The Lotteries (Regulation) Act, 1998' को ला कर हम इसको बेहतर तरीके से रैगुलेट कर सकते हैं। इसलिए जेसा कि प्रकाश जी ने कहा कि इसमें कैसे बेहतर तरीके से रैगुलेट कर सकते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जिस स्टडी ग्रुप में Ministry of Law and Justice के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने कहा कि हम केवल रैगुलेशन्स के माध्यम से ही डबल डिजिट को बैन कर सकते हैं। श्री चिदम्बरम जी ने इसमें जो स्टेटमेंट दी है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि "double digit lottery should be banned". तीसरे नम्बर पर यह लिखा हुआ है।

इसके अलावा यह भी पूछा गया कि on-line लॉटरीज़ को किस तरीके से रैगुलेट किया जाए, वह भी रैगुलेशन्स के माध्यम से ही हो सकता है।

अंत में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि दस साल से यह बिल लगातार इसी तरके से मैं हाउस में पैंडिंग पड़ा हुआ है और इसके ऊपर कोई फाइनल डिसीज़न नहीं हो रहा है। हम लोग इसे वापस ले करके, जो The Lotteries (Regulations) Act, 1998 इस हाउस में पास हुआ था, उसके माध्यम से वह सब चीज़ें अचीव कर सकते हैं, जो आप लोग चाहते हैं और जो लोगों के विचार हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि रैगुलेशन्स के माध्यम से हम उसको ठीक करें और वे रैगुलेशन्स सदन के पटल पर भी रखे जाते हैं। अगर किसी भी तरीके से उन रैगुलेशन्स के ऊपर आप लोगों की असहमति है या उसमें किसी भी प्रकार की कमी नज़र आती है, तो सरकार फिर से उसके ऊपर ओपन है और हम इसके ऊपर फिर विचार कर सकते हैं। अगर हाउस की इसके ऊपर कोई यूनानिमिटी नहीं है, तो हम इसे विदड्रा नहीं करेंगे, लेकिन अगर यूनानिमिटी है, तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमें इजाजत दें कि हम इसको विदड्रॉ करें। रैगुलेशन्स के माध्यम से हम लॉटरीज़ के अंदर जो भी इंम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, हम आप लोगों के विचारों को उसमें incorporate करने की पूरी कोशिश करेंगे।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : आप regulation ले आइए, Bill को withdraw कर लीजिए। You can show up, there is no problem. ...*(Interruptions)*...

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : सर, श्री अजय माकन ने उसमें सारा कुछ विस्तारपूर्वक बता दिया है। कौन-सा कानून बनाना है या नहीं बनाना है, यह बात हमारे साथ आप मानेंगे कि इसका फैसला सरकार को करना होता है। यह 10 वर्षों से पड़ा है और इसमें आगे कोई काम नहीं हो पाया है। यह इसी कारण से हुआ, क्योंकि इसमें मतभेद थे। अलग-अलग प्रांत की जो लॉटरीज़ हैं, उनके अपने-अपने विचार कुछ और थे। उन सभी बातों को देखते हुए आज सुबह ही अहलुवालिया जी हमें बार-बार याद दिला रहे थे कि this is the Council of States. इस प्रकार जो स्टेट्स हैं, उनके इस पर अलग-अलग विचार हैं। वे यह नहीं चाहते कि आप इसे prohibit करो या इस पर टोटल पाबंदी लगा दो। इसलिए मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि इस पर हमें इजाजत दी जाए, ताकि उस regulation में और जो संशोधन करने हैं, वह जल्दी से ...**(व्यवधान)**...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : आप वह regualtion ले आइए। ...**(व्यवधान)**...

श्री अमर सिंह : वह regulation आप ले आइए। ...**(व्यवधान)**...

श्री पवन कुमार बंसल : वह हम ले आएंगे। ...**(व्यवधान)**...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : नया बिल लाने में कोई रुकावट नहीं है।...(व्यवधान)... आप वह ले आइए)।

श्री पवन कुमार बंसल : इसके लिए Standing Committee है। वह मसला Standing Committee में चला जाता है। Standing Committee किसी भी मसले को उठाकर विचार कर सकती है। उसके तहत किसी भी वक्त जो भी Subordinate Legislation के रूल्स होते हैं, वे Subordinate Legislation Committee में जाते हैं और जो विषय की समिति होती है, उसमें चले जाते हैं। इसलिए सर, मेरी दरख्वास्त एक बार फिर होगी कि हमारी जो परम्पराएं हैं कि सरकार कौन सा बिल लाना चाहती है, कौन सा विधेयक रखना चाहती है, कौन सा विधेयक किस हालात में, किस शक्ल में लाना चाहती है, वह सरकार के पास रहना चाहिए। मेरी यह दरख्वास्त है कि आप इस बात को मानें, आगे आपकी मरज़ी। ...**(व्यवधान)**...

डा. (श्रीमती) नजमा हेपतुल्ला : आप विदड्रा कर लेंगे, तो Sub-ordinate Legislation कैसे आएगा? When the Act is withdrawn, then, the subordinate legislation...*(Interruptions)*...

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : No, no. There is another Act. ...*(Interruptions)*...

DR. (SHRIMATI) NAJMA A. HEPTULLA : Then you bring another Act and withdraw it. ...*(Interruptions)*...

श्री अजय माकन : सर, यह 1999 का Lotteries (Prohibition) Bill है, इसमें एक साल पहले 1998 का Lotteries Regulation Act आ चुका है। जो regulations हैं, Sub-ordinate Legislation, उस एक्ट के तहत, जो 1998 में Lotteries Regulations Act यहां पर संसद से पास हुआ था, उसके तहत हम लेकर आना चाहते हैं। Regulations के अन्दर हम कोशिश करेंगे कि हमारे सदस्यों की जो भावनाएं हैं, उनको हम incorporate करें। यह बिल पड़ा रहे इसके अन्दर लगभग इतने सालों से, उसमें ...**(व्यवधान)**...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sky is not going to fall on our head. Bring a new Bill, and, withdraw it. What is wrong in it? ...*(Interruptions)*...

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Ahluwalia ji, I would request you. ...*(Interruptions)*...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : नहीं, आप Parliamentary Affairs Minister हैं। आप जरा लिस्ट में से देख कर यह बताइए कि कितने बिल ऐसे हैं। मैं आपको दिखा दूं कि कितने बिल ऐसे हैं, तो पिछले 15 सालों से या 20 सालों से pending हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री पवन कुमार बंसल : हम वही प्रयास कर रहे हैं कि वह नहीं रहें।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : आप at one stage withdraw कर लीजिए ...**(व्यवधान)**... There are obsolete Acts in the country which should be repealed but are not repealed. What does it mean?

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: There is an exercise for it.

SHRI S.S. AHLUWALIA: The point is either you do not send this or. ...*(Interruptions)*... Why do you have two standards for two Committees or two Bills? When we send a unanimous Report from the Standing Committee, you say, it is not mandatory. Here, there is no unanimity; because it fits you, you say something else. ...*(Interruptions)*... We will not accept it. That is not fair, ...*(Interruptions)*...

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Sir, it is not a question of what suits us or what does not suit us. It is not that. ...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: My point is simple. I am not opposed to the Regulatory Authority for the Lotteries. You bring it. Stop the lottery mafia. Bring a Bill, come back to the House, and, the same day, you can withdraw. There is no problem. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति : अहलुवालिया जी, उनका कहना है कि 1998 को जो एक्ट है, उसमें वह एक regulation बनाएंगे। ...**(व्यवधान)**... वह उसे बनाने का assurance दे रहे हैं।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : 1998 का Lotteries Regulation Act बना हुआ है, उसमें आप संशोधन ले आइए। यह कल ले आइए और कल ही withdraw कर लीजिए। आप वह ले तो आइए। ...**(व्यवधान)**...

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: It is a simultaneous decision. This Bill was taken up for consideration again, and, therefore, the opinion was that instead of going in for another Act, those changes can be brought about through the regulations under the other Act. ...*(Interruptions)*... इसमें कुछ भी गलत नहीं है। There is nothing wrong in it, Sir.

SHRI M. RAMA JOIS (Karnataka) : Under the 1998 Act, let them frame the regulations to regulate Lotteries. Because it has to be laid on the Table of the House, let them place those regulations and then withdraw. The Bill which is proposed to be withdrawn.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: These are the precedents being set that the Government wants to introduce a Bill or the Government wants to withdraw a Bill, and, it is being obstructed. ...*(Interruptions)*... Okay. Fine, Sir. It is fine, Sir. ...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: There is a provision in the Rule Book. There is a provision to object to it. ...*(Interruptions)*...

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: These are the precedents which are being set. ...*(Interruptions)*... It is all right. ...*(Interruptions)*... These are the precedents which you are setting. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Are you moving it?

श्री अजय माकन : सर, अगर इसमें opposition की रजामंदी नहीं है, तो मैं प्रेस नही कर रहा हूं, लेकिन मैं फिर से यह कहना चाहूंगी कि ये दोनों चीजें अपने आप में विरोधाभासी हैं। एक तरफ हम लोग Regulations लेकर आना चाह रहे हैं और बिल already पार्लियामेंट के अंदर रखा हुआ है। इस तरह इन दोनों चीजों में विरोधाभास है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, the Bill is not pressed.

We will now take up the Representation of the People (Second Amendment) Bill, 2008.

The Representation of the People (Second Amendment) Bill, 2008

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI M. VEERAPPA MOILY): Sir, I beg to move that the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950 and the Representation of the People Act, 1951, be taken into consideration.

Mr. Deputy Chairman, Sir, in a Parliamentary democracy, the process of election has to be free, fair and equitable. We are very proud to say that our Parliamentary democracy is the largest and the most successful one. But, at the same time, we have to acknowledge the fact that there is some deterioration in the standards and practices. And also the elections, the perception is, are sometimes influenced by money power, muscle power, caste power, corrupt practices and also unfair means. Over the years, we have seen that our Acts, regulations and the laws of the country will have to be